संख्या–/ 273 /V-2 / 2019–05(आ0) / 2017टी0सी0

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

विषयः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विलय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–1799 / V-2–2017–05(आ0) / 2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विलय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी में विलय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त विलय के उपरान्त गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिसूचित भू–भाग को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–3 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना पृथक से निर्गत की जा रही है।

3– उक्त विलय के उपरान्त गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सृजित पद, कार्मिक, सम्पत्ति एवं दायित्व का विलय जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी में हो जायेगा।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या– —/V-2/2019–05(आ0) / 2017 टी0सी0, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– उपाध्यक्ष / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
5– एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।